डीजी-परिपत्र संख्या-42/2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226002

दिनांकः अक्टूबर 28, 2024

विषय- 03 वर्ष से 07 वर्ष तक की सजा वाले प्रकरणों की प्रारम्भिक जाँच के अनुपालनार्थ "मानक संचालन प्रक्रिया" (SOP) का निर्धारण।

प्रिय महोदय / महोदया,

आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(3) में वर्णित प्राविधानों में 03 वर्ष से 07 वर्ष तक की सजा वाले प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच के सम्बन्ध में "मानक संचालन प्रक्रिया" (SOP) के अनुपालनार्थ दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-

1. ऐसे किसी संज्ञेय अपराध, जिसमें 03 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किन्तु सात वर्ष से अधिक नहीं है, के घटित होने पर थाने का प्रभारी अधिकारी, ऐसे अपराध की प्रकृति और गम्भीरता पर विचार करते हुए पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी की पूर्व अनुमति से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला विद्यमान है, प्रारंभिक जांच प्रारम्भ कर सकता है अथवा जब प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान है, अन्वेषण की कार्यवाही कर सकता है। प्रतिबंध यह है कि उपरोक्तानुसार प्रारम्भ की गई जांच 14 दिन की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
2. जब किसी घटना या शिकायत या अभिकथन के बारे में सूचना थाने के प्रभारी अधिकारी को मिलती है, और यह ज्ञात करने के लिये कि प्रथम दृष्टया उसमें संज्ञेय अपराध बनता है अथवा नहीं, वह तथ्यों को बदले बिना उस सूचना का संक्षिप्त विवरण जनरल डायरी में अभिलिखित करेगा तथा प्रारम्भिक जांच की अनुज्ञा पर्यवेक्षणीय अधिकारी से लिखित रूप से प्राप्त करेगा।
3. थाने के प्रभारी अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच के लिये अनुरोध प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में या तो अनुमति प्रदान की जायेगी या अस्वीकार की जायेगी। यदि 24 घण्टे के भीतर अनुमति स्वीकृत नहीं की जाती है तो थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जायेगी।
4. प्रारम्भिक जांच की अनुमति प्राप्त होने पर थाने का प्रभारी अधिकारी या तो स्वयं अथवा उपनिरीक्षक से अन्यूनतम अधिकारी से जाँच करवाएगा। जाँच का उद्देश्य मात्र यह ज्ञात करना है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनता है अथवा नहीं। जाँच के दौरान अधिकारी आवश्यक दस्तावेज़ या साक्ष्य मांग सकता है।

5. यदि प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त थाना प्रभारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनता है तो -

   i. वह क्षेत्राधिकारी से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का अनुमोदन प्राप्त करेगा और तदानुसार अभियोग पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ करेगा।

   ii. वह FIR की एक प्रति सूचनाकर्ता को भिजवायेगा और उस पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

   iii. यदि अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांन्त सूचनाकर्ता को इलेक्ट्रानिक या लिखित माध्यम से रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने की सूचना देगा।

6. यदि प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त थाना प्रभारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला नहीं बनता है तो -

   i. वह क्षेत्राधिकारी से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न करने का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

   ii. अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त सूचनाकर्ता को इलेक्ट्रानिक या लिखित माध्यम से रिपोर्ट पंजीकृत न करने के कारण से अवगत कराएगा।

   iii. सूचना प्रदान करने के साक्ष्य का लिखित अभिलेखीकरण करेगा, सूचनाकर्ता को यह सूचना प्रदान कर दी गयी है इस को सिद्ध करना थाना प्रभारी का दायित्व होगा।

   iv. उपरोक्त कार्यवाही की प्रविष्टि जीडी में अंकित करेगा।

7. प्रत्येक प्रारम्भिक जाँच 14 दिनों के भीतर पूर्ण करनी होगी। यदि प्रारम्भिक जाँच इस अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना विलम्ब के प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जायेगी। ऐसी दशा में सम्बन्धित जाँचकर्ता को क्षेत्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जायेगा तथा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक को भेजी जायेगी।

8. जनपद में प्रारम्भ की गई प्रारम्भिक जाँच की दैनिक रिपोर्ट पर्यवेक्षण अधिकारी एवं सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

9. प्रारम्भिक जाँच के संबंध में प्रत्येक थाने, सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय एवं जिला मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक प्रारम्भिक जांच पंजिका भौतिक अथवा डिजिटल मोड में निर्धारित संलग्न प्रारूप में अनुरक्षित की जायेगी, जो सदैव अद्यतन रहेगी।

तकनीकी सेवायें, मुख्यालय द्वारा SOP के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में सूचना डिजिटल मोड में संकलित करने हेतु डिजिटल व्यवस्था विकसित की जायेगी तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उक्त सूचनाओं को पुनः प्राप्त (Retrieve) किया जा सके और पर्यवेक्षणीय अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी कर सके।

10. सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा माह में एक बार और क्षेत्राधिकारी द्वारा सप्ताह में एक बार PE रजिस्टर की गहन समीक्षा की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायपूर्ण कार्यवाही हो रही है।
11. जिला पुलिस प्रमुख द्वारा प्रत्येक मासिक अपराध समीक्षा बैठक में सम्पूर्ण जिले में प्रचलित समस्त प्रारम्भिक जाँचों की स्वयं सघन समीक्षा की जायेगी।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला आयोजित कर उपरोक्तांकित निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को विस्तार से अवगत कराते हुए समय से इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

28.1.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी / रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रारूप-

प्रारम्भिक जांच के संबंध में प्रत्येक थाने, सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक,अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय एवं जिला मुख्यालय स्तर पर एक प्रारम्भिक जांच पंजिका

क्र0सं0	सूचना की तिथि	प्रारम्भिक जाँच की अनुमति मांगी गयी	अनुमति मिली अथवा नहीं	अनुमति मिलने अथवा न मिलने की दिनांक	प्रारम्भिक जाँच करने वाले अधिकारी का नाम	प्रारम्भिक जाँच भेजने का दिनांक	जाँच का संक्षिप्त विवरण	सहमति या असहमति की तिथि	एफआईआर अंकित होने का दिनांक	सूचनाकर्ता को सूचित करने का दिनांक	प्रारम्भिक जाँच मे देरी का कारण	प्रारम्भ जाँच में विलम्ब होने पर कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13